दिनांक–24.02.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई विभागीय कार्यों के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. **विद्युत विपत्रों के भुगतान की स्थितिः–**

❖ समीक्षा के क्रम में संज्ञान में लाया गया कि विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु दिनांक–01.09.2025 के आधार पर की गई दावा का संयुक्त सत्यापनोपरांत HGN एवं गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों का संवेदकों/एजेंसियों के माध्यम से भुगतेय राशि के विरूद्ध भुगतान हेतु अत्याधिक राशि लंबित है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम, नवादा, बिहारशरीफ, हिलसा, छपरा, पटना पूर्व, बेतिया, एवं आरा में भुगतान हेतु सबसे अधिक राशि लंबित पायी गई। इससे प्रतीत हो रहा है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा विद्युत विपत्र में बकाये राशि का भुगतान कराने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, केवल खानापूर्ति की जा रही है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्रों की बकाया राशि का अविलंब शत–प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैठक में यह निदेश दिया गया कि प्रमंडलों द्वारा जो अधियाचना की जाती है एवं विभाग द्वारा जो अधियाचित राशि दी जाती है उसके अनुसार विद्युत मद में भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा पाया जाता है कि विभाग द्वारा प्रमंडलों को दी जा रही अधियाचित राशि के अनुपात में विद्युत मद में भुगतान नहीं कराया गया है तो संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालनः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम अंतर्गत अत्याधिक विद्युत भुगतान लंबित है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम अधीनस्थ प्रमंडलों द्वारा विगत एक माह में काफी कम दिन एवं कम भुगतान प्रतिवेदित किया गया है। अधीक्षण अभियंता, सासाराम से उनके अधीनस्थ प्रमंडलों में विद्युत विपत्रों की बकाये राशि के भुगतान के संदर्भ में पृच्छा करने पर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया जिससे प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा उक्त कार्य में शिथिलता बरती जा रही है एवं भुगतान हेतु उनके पास कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है। इस संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता को प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि वे अपने क्षेत्रातंर्गत प्रमंडलों के विद्युत विपत्रों के बकाये राशि के भुगतान का दैनिक अनुश्रवण करते हुए अविलंब पूर्ण भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव/संबंधित अधीक्षण अभियंता।

- ❖ अधीक्षण अभियंता, अंचल आरा को निदेशित किया गया कि आरा प्रमंडल में विद्युत विपत्र के बकाये राशि के विरूद्ध कितना भुगतान हो सकेगा, संबंधी प्रतिवेदन आज दिनांक–24.02.2026 के शाम तक मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः–अधीक्षण अभियंता, अंचल आरा।

- ❖ विद्युत विपत्रों के बकाये राशि के भुगतान की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, हिलसा साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक (24.02.2026) में अनुपस्थित पाए गए। यह भी पाया गया कि उनके द्वारा न ही अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय) को छुट्टी आवेदन दिया गया है और न ही किसी सहायक अभियंता को बैठक के लिए प्राधिकृत किया गया है। अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना एवं मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा मोबाइल के माध्यम से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया परंतु कार्यपालक अभियंता, हिलसा से संपर्क स्थापित नहीं हो सका। साथ ही कार्यपालक अभियंता, फारविसगंज साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक (24.02.2026) में अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में संबंधित दोनों कार्यपालक अभियंता का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव।

- ❖ अधीक्षण अभियंता, अंचल पटना द्वारा बताया गया कि उनके अधीनस्थ प्रमंडलों में विद्युत विपत्र के बकाये राशि मद् में अगले तीन–चार दिनों में 3–4 करोड़ का भुगतान करा दिया जाएगा।

अनुपालनः–अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना।

- ❖ कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम को निदेशित किया गया कि विद्युत विपत्रों के बकाये राशि का भुगतान नहीं करने वाले एजेंसियों/संवेदकों के विरूद्ध एकरारनामा के प्रावधानित शर्तों के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई कर डिवार/रिसाइंड/काली सूची में डालने इत्यादि संबंधी कार्रवाई करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही अविलंब विद्युत विपत्रों के बकाये राशि का भुगतान करना/कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम।

- ❖ विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के सत्यापित बकाया राशि के विरूद्ध प्रतिवेदित भुगतान का अगले दो दिनों के अंदर अचूक रूप से विभागीय MIS पर साक्ष्य सहित त्रुटिरहित प्रविष्टि कराने का निदेश संबंधित सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी अन्यथा संबंधित कार्यपालक अभियंता को इसमें संलिप्त माना जाएगा। सभी अधीक्षण अभियंता शून्य अथवा अत्यल्प कम उर्जा खपत वाले विद्युत विपत्रों से संबंधित जलापूर्ति योजनाओं की क्रियाशीलता की समुचित जाँच हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए सम्यक क्रियाशीलता सुनिश्चित करेंगे एवं दोषी संवेदकों/एजेंसियों के विरूद्ध विभागीय SOP एवं एकरारनामा के प्रावधानित शर्तों के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ असैनिक प्रमंडलों को हस्तातंरित किये गए पाईप जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों के विरूद्ध यांत्रिक प्रमंडलों द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई

राशि का प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार सभी कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता असैनिक प्रमंडल को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः—सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं द्वारा विद्युत विपत्रों के भुगतान नहीं करने वाले वैसे संवेदकों जिसे एकरारनामा के प्रावधानित शर्तों के आलोक में डिवार / रिसाइंड / काली सूची में डाला गया है / जमा राशि को राज्यसात किया गया है, इत्यादि संबंधी प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, (दक्षिण बिहार) को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, (दक्षिण बिहार) द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को एक विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुपालनः—मुख्य अभियंता (द0 बि0) / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता।

❖ सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि विद्युत मद् में संवेदकवार एवं उपभोक्ता संख्यावार दिनांक—01.09.2025 के आधार पर दावा किए गए राशि के विरूद्ध संपन्न अंतिम संयुक्त सत्यापन के आलोक में कितना भुगतान किया जाना है एवं अब तक कितना हुआ है, संबंधी प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः—सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने कार्यक्षेत्र अतंर्गत प्रमंडलों के विद्युत विपत्रों के बकाये राशि के विरूद्ध किए गए भुगतान की त्रुटिरहित (साक्ष्य सहित) प्रविष्टि MIS Portal पर अपलोड करायेंगे। वे यह भी सुनिश्चित कर लें कि बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन एवं MIS Portal पर अपलोड किए गए डाटा में भिन्नता नही हो। यदि दोनों की प्रतिवेदित राशि में भिन्नता या कम प्रतिशत भुगतान प्रतिवेदित पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई किया जा सकता है।

अनुपालनः—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता।

2. <u>CGRC (Pump Operator payment & other) PHED/PRD:-</u>

❖ समीक्षा के क्रम में समस्तीपुर में 30 दिनों से ऊपर के 294 शिकायते लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कई योजनाओं को रि—ओपन किया गया है। इस संदर्भ में CGRC Portal से DCC02105002401261339, DCC02078100240126125 9, DCC02077600240126124 3, H02077965240126114808 एवं DCC02105900240126104 6 शिकायतों की समीक्षा की गई तो संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस पर खेद व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निदेश दिया गया एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को स्थल निरीक्षण कर शिकायतों का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— अभियंता प्रमुख सह—विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ CGRCकी समीक्षा के क्रम में दरभंगा, प्रमंडल में 30 दिनों से ऊपर के 272 शिकायते लंबित पाया गया। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पुरानी पाईपलाइन तकनीकी रूप गलत बिछाई गई है जिसके कारण सभी पाइपों को पूरी तरह रिप्लेश करने की आवश्यकता है जिससे जलापूर्ति शत–प्रतिशत संभव होगी। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि काम को नए सिरे से करने के लिए प्राक्कलन तैयार करेंगे एवं संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुमोदन उपरांत प्राक्कलन मुख्यालय को समर्पित करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि योजनाओं के अनुसार रिपेयर टीम बढ़ाते हुए शिकायतों का ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा में 30 दिनों से ऊपर 202 शिकायते लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कई योजनाओं को रि–ओपन किया गया है एवं कई जगह पाईप Extend करने के उपरांत भी पानी घरों तक नहीं पहुँच पाता है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर सभी शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी में 30 दिनों से ऊपर 167 शिकायते लंबित पाया गया। जिसके संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पम्प ऑपरेटर–43, भूमि विवाद–67, Left Out Tolla–25, लोक शिकायत–6 एवं शेष मामलों रि–ओपन किया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि कतिपय वार्डों में विवादित मामले एवं पम्प ऑपरेटर से संबंधित मामले को संबंधित DPRO/BPRO के माध्यम से कराये जाने का निदेश दिया गया तथा एक सप्ताह के भीतर लंबित सभी शिकायतों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढाका में 30 दिनों से ऊपर 166 शिकायते लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कतिपय योजना का वेरिफाई करने के उपरांत रि–ओपन किया गया है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढाका की CGRC शिकायतों की जाँच मुख्यालय स्तर से मुख्य अभियंता, यांत्रिक की अध्यक्षता में दल गठित कर जाँच कराने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः— मुख्य अभियंता, यांत्रिक।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी में 30 दिनों से ऊपर 108 शिकायते लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि PRD Left Out Tolla में कतिपय योजना रि–ओपन किया गया है जहाँ 90 प्रतिशत बोरिंग का काम पूर्ण कर लिया गया है, जल्द ही सभी घरो में पानी की जलापूर्ति की जाएगी।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया में 30 दिनों से ऊपर 105 शिकायते लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि रि–ओपन एवं पम्प ऑपरेटर के कारण शिकायत लंबित है। DPRO से समन्वय कर पम्प ऑपरेटर का भुगतान करवाया जा

रहा है एवं कई जगह पाईपलाइन क्षतिग्रस्त है जिसके लिए लगभग 500—700 पाईपलाइन बिछाने की आवश्यकता है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के भीतर लंबित शिकायतों का निष्पादन कर लिया जाएगा।

- समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान में 30 दिनों से ऊपर 97 शिकायते लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 24 लंबित शिकायतों का निष्पादन कर लिया गया है एवं पम्प ऑपरेटर—53 के कारण शिकायत लंबित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय कर पम्प ऑपरेटर का भुगतान कराते हुए शिकायतों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा में 30 दिन से ऊपर 81 शिकायत लंबित पाया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि छूटे हुए टोलों में 21 योजना है, 6 योजना का निविदा प्रक्रियाधीन है, 17 योजना में काम चालू है, 4 योजनाओं में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, 3 योजनाओं में जनता द्वारा पाइपलाइन नहीं बिछाने दिया जा रहा है, 3 मामले में बिजली पोल बिछाने की आवश्यकता है एवं 10 योजना पम्प ऑपरेटर मानदेय के कारण लंबित है। बिजली पोल एवं पम्प ऑपरेटर से संबंधित मामलों को संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय करते हुए सभी लंबित शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि 15—30 दिन एवं 30 दिन से ऊपर जितने लंबित शिकायत है, सभी लंबित शिकायतों का लाभार्थी से वार्ता कर, प्रत्येक लंबित शिकायतों का निष्पादन करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने क्षेत्रातंर्गत प्रमंडलवार पम्प ऑपरेटर मानदेय के लंबित भुगतान के जितने मामले हैं, उसकी एक सूची तैयार कर मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः— सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता।

3. Tender Status PHED/PRD:-

- समीक्षा के दौरान सभी प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल को निदेशित किया गया है कि जिस भी स्तर से निविदा लंबित है, उन सभी निविदाओं का निष्पादन कर इसकी प्रति अविलंब मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता।

4. CP Gram/E-Compliance:-

- ❖ मुख्यमंत्री सचिवालय के E-Compliance Dashboard पर कतिपय प्रमंडल स्तर से क्रमशः—भागलपुर पूर्व, बिहारशरीफ, दरभंगा, गयाजी, हाजीपुर, हिलसा, जहानाबाद, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं तेघड़ा का लंबित परिवाद की संख्या 10 से ज्यादा है। विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर परिवादी को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाय एवं उसकी एक प्रति मुख्यालय को तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि CP Gram का अद्यतन प्रतिवेदन कतिपय प्रमंडल स्तर से क्रमशः—जमुई, औरंगाबाद, भागलपुर पश्चिम, दरभंगा एवं बेगूसराय अंतर्गत 10 दिनों से ज्यादा लंबित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि तीन दिनों के अंदर निराकरण कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि E-Compliance Dashboard अथवा CP Gram के शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिकायत का निराकरण विभागीय समय—सीमा के अंदर सुनिश्चित रखेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

5. अन्यान्यः—

- ❖ प्रायः देखा जा रहा है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को Rescind कर इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने क्षेत्रातंर्गत प्रमंडलों से Rescind एजेंसियों की सूची तैयार कर एवं इस संदर्भ में क्या अग्रेतर कार्रवाई की गई है, इसकी एक प्रति मुख्यालय को अगले तीन दिन के अंदर को उपलब्ध करायेंगे एवं रिपोर्ट में एजेंसी की Rescind / Blacklist हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अपने क्षेत्रातंर्गत विभाग द्वारा निदेशित 38 कॉलम का PWS /SVS रिपोर्ट का संकलित कर अगले तीन के अंदर मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

अनुपालनः—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि विधानसभा सत्र में प्रमंडलों द्वारा दिए गए उत्तर में अगर कार्य प्रगति में हो तो उनका संपादन दिए गए समय—सीमा के अंदर करते हुए माननीय को यथास्थिति से अवगत करायेंगे। सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्रातंर्गत निदेश का अनुपालन करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

23.03.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 14/बैठक–102/24–259 दिनांक– 24/03/26

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–102/24–259 दिनांक– 24/03/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–102/24–259 दिनांक– 24/03/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–102/24–259 दिनांक– 24/03/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)